इकाई 13 चिकित्सीय नीतिशास्त्र

रूपरेखा

13.0 उद्देश्य

13.1 परिचय

13.2 चिकित्सीय नीतिशास्त्र में महत्वपूर्ण दृष्टिकोण

13.3 मानवाधिकार और चिकित्सा नैतिकता

13.4 चिकित्सीय नीतिशास्त्र में नैतिक मूल्य

13.5 चिकित्सीय नीतिशास्त्र में तीन व्यावहारिक मामले

13.6 नैतिक मूल्यों के बीच संघर्ष

13.7 सारांश

13.8 कुंजी शब्द

13.9 अन्य सहायक अध्ययन–सामग्री और सन्दर्भ

13.0 उद्देश्य

चिकित्सीय नीतिशास्त्र का मुख्य उद्देश्य छात्रों को चिकित्सा और नैदानिक प्रथाओं के क्षेत्र में नैतिक समझ प्रदान करना है। नैतिकता किसी विशेष परिस्थिति में सही या गलत कृत्य के साथ ''क्या करना चाहिए?'' का प्रश्न उठाकर व्यवहार करती है। चिकित्सा नैतिकता, नैतिकता का एक द्वितीयक या उप–विषय है जो छात्रों को चिकित्सा के सीमित क्षेत्र में सही निर्णय या विकल्प बनाने में मदद करता है। यहां मुख्य बात यह समझना है कि नैतिकता और उसके उप–विषय ''अन्य'' की धारणा से शुरू होते हैं और जहां ''अन्यता'' की अवधारणा आती है, वहां सही और गलत के प्रश्न होंगे। इस प्रकार, यह विषय छात्रों को चिकित्सा क्षेत्र में नैतिक मूल्यों और मानदंडों को समझने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

* सुश्री विनीता, पीएच. डी. शोधरत, दर्शनशास्त्र विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय।

अनुवादक– डॉ. भरत कुमार भारती, सलाहकार (दर्शनशास्त्र), श्यामलाल महाविद्यालय शिक्षण केन्द्र, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय।

13.1 परिचय

चिकित्सा नीतिशास्त्र अनुप्रयुक्त नैतिकता की एक शाखा है जो चिकित्सा और नैदानिक प्रथाओं के क्षेत्र में व्यावहारिक मुद्दों से संबंधित है। चिकित्सीय अनुसंधान और नैदानिक प्रथाएं नैतिकता के साथ एकीकृत हैं। चिकित्सा नैतिकता, चिकित्सा और नैदानिक प्रथाओं की एक महत्वपूर्ण शाखा है। चूंकि नैतिकता हमारे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हर इंसान अपना जीवन अपनी पसंद और फैसलों के साथ जीता है। व्यक्ति हमेशा अपनी पसंद और निर्णय के अनुसार कार्य करता है। किसी के कृत्यों और विकल्पों के बीच एक अंतर्संबंध होता है। नैतिकता तब शुरू होती है जब मनुष्य कार्य करने के लिए विकल्प और निर्णय लेता है। इस प्रकार, नैतिकता विकल्पों से संबंधित है। जहां कोई विकल्प नहीं है वहां नैतिकता की कोई भूमिका नहीं है। कुछ सामान्य प्रश्न हैं जिनके बारे में हर कोई सोचता है जैसे; मैं एक अच्छा जीवन कैसे जी सकता हूँ? एक अच्छा जीवन जीने का तरीका क्या है? इसी तरह, चिकित्सीय नीतिशास्त्र एक व्यावहारिक विषय है और नैतिक दर्शन की एक शाखा भी है। इस प्रकार, नैतिकता चिकित्सीय नीतिशास्त्र का एक अभिन्न अंग है। यह उन विकल्पों और निर्णयों से संबंधित है जिन्हें रोजमर्रा की चिकित्सा पद्धतियों में कार्य करने के लिए माना जाता है। यह बहुत स्पष्ट है कि नैतिकता का उद्देश्य यह तय करना नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है, बल्कि इस बात पर विचार करना है कि एक नैतिक कर्ता के रूप में अपने नैतिक दायित्वों और कर्तव्यों के आलोक में हमें सर्वोत्तम तरीके से कैसे कार्य करना चाहिए।

इसके साथ ही, चिकित्सीय नीतिशास्त्र और संस्कृति विभिन्न सांस्कृतिक मूल्यों के रूप में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और धार्मिक विश्वास हमारी निर्णय लेने की क्षमता को आकार देते हैं। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में चिकित्सा नीतिशास्त्र की भूमिका को समझने के लिए कुछ सर्वोत्तम प्रश्न हैं। सबसे पहले, एक डॉक्टर और उसके मरीज के बीच किस तरह का रिश्ता होना चाहिए? दूसरा, हमें एक ऐसे रोगी के जीवन को समाप्त करने का निर्णय कैसे लेना चाहिए जो अपने जीवन के लिए तर्कसंगत निर्णय लेने में सक्षम नहीं है? जीवन के अंत करने जैसे मुद्दों के प्रति तर्कसंगत निर्णय लेने में परिवार की नैतिक भूमिका क्या होगी?

13.2 चिकित्सीय नीतिशास्त्र में महत्वपूर्ण दृष्टिकोण

नैतिकता हर नैतिक दुविधा में नियमों के एक निश्चित समुच्चय को लागू करने के बारे में नहीं है। नीतिशास्त्र में, हम उस समस्या की प्रकृति को समझकर ही नैतिक दुविधाओं का समाधान कर सकते हैं। दो महत्वपूर्ण दृष्टिकोण हैं जो विशेष रूप से नैतिक दुविधाओं को हल करने में, व्यावहारिक नैतिकता में लागू होते हैं।

13.2.1 उपयोगितावाद

उपयोगितावाद एक पारंपरिक नैतिक सिद्धांत है जिसकी वकालत 18वीं और 19वीं शताब्दी के दो महत्वपूर्ण दार्शनिकों जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल ने की है। यह दृष्टिकोण कृत्यों या निर्णयों के परिणामों पर आधारित है। इस मामले में, किसी कृत्य के अच्छे परिणाम हो सकते हैं किसी कृत्य के साधनों का औचित्य सिद्ध करना। उपयोगितावाद उपागम की नैतिकता साधनों से नहीं बल्कि इस उपागम के लिए साध्य मायने रखता है। इस संदर्भ में, एक कृत्य सही है यदि यह अधिक से अधिक लोगों के लिए खुशी पैदा करता है। दूसरे शब्दों में, यह समझा जा सकता है कि यह दृष्टिकोण अधिक से अधिक लोगों के लिए खुशी की वकालत करता है और उन कार्यों का विरोध करता है जो अधिकतर लोगों के लिए नुकसान या दुख का कारण बनते हैं। यह सिद्धांत तीन सिद्धांतों पर आधारित है–

1) केवल सुख या खुशी ही आंतरिक मूल्य धारण करती है।

2) किसी कार्य के सही और गलत होने की कसौटी उसके परिणाम पर निर्भर करती है। अगर कोई कार्य खुशी को बढ़ावा देता है, तो यह सही है। वहीं दूसरी ओर यदि कोई कार्य दुरूख या पीड़ा को बढ़ावा देता है तो वह गलत है।

3) इस दृष्टिकोण में, सभी की खुशी का समान मूल्य है। इसका मतलब यह नहीं है कि एक की खुशी दूसरे की तुलना में अधिक मूल्यवान है।

स्वास्थ्य सेवा में इस दृष्टिकोण को कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझा जा सकता है।

13.2.2 कर्तव्यपरक नीतिशास्त्र

इस दृष्टिकोण को 18 वीं शताब्दी में महान जर्मन दार्शनिक इम्मानुएल कांट द्वारा परिभाषित किया गया है। इस सिद्धांत को सरल शब्दों में समझना यह है कि अभिकर्ता के कर्तव्यों या दायित्व और व्यक्ति के शुभ संकल्प के बीच एक नैतिक संबंध है और यह कुछ कर्तव्यों या दायित्वों पर आधारित है। यह उपागम दावा करता है कि साध्य साधनों का औचित्य सिद्ध नहीं कर सकता। जबकि, एक अच्छा निर्णय (कर्तव्य या दायित्व) किसी कृत्य के परिणाम

को सही ठहराने का एकमात्र तरीका है। इस दृष्टिकोण में, नैतिक निर्णय परिणामों से स्वतंत्र होते हैं। कांट द्वारा तीन महत्वपूर्ण सूत्र दिए गए हैं:

1) **सार्वभौमिक नियम का सूत्रः** 'केवल उस सूत्र के अनुसार कार्य करें जिसके माध्यम से आप उसी समय यह संकल्प कर सकें कि वह नियम सार्वभौमिक नियम होना चाहिए।'

2) **मानवता का सूत्रः** 'ऐसा कार्य करें कि आप मानवता का उपयोग अपने स्वयं के लिए उतना ही करें जितना कि हर दूसरे के व्यक्ति में, हमेशा एक साध्य के रूप में और कभी भी केवल एक साधन के रूप में नहीं।'

3) **स्वायत्तता सिद्धांतः** 'एक तर्कसंगत प्राणी को हमेशा खुद को नियम देने वाले या तो सदस्य के रूप में या साध्यों के राज्य में संप्रभु के रूप में मानना चाहिए जो संकल्प की स्वतंत्रता से संभव हो जाता है।'

कर्तव्यपरक नीतिशास्त्र सिद्धांत के अनुसार, किसी कृत्य का सही और गलत होना इन तीन कथनों पर निर्भर करता है। यदि कोई कृत्य इन तीन सिद्धांतों को संतुष्ट करता है, तो वह कार्य नैतिक रूप से सही है, यदि वह इन तीन सिद्धांतों को संतुष्ट नहीं करता है तो वह नैतिक रूप से गलत है। चिकित्सीय नीतिशास्त्र में, ये दो दृष्टिकोण (उपयोगितावाद और कर्तव्यपरक नीतिशास्त्र) निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चिकित्सीय नीतिशास्त्र में कांटियन दृष्टिकोण बहुत प्रासंगिक है क्योंकि हमें किसी व्यक्ति की स्वायत्तता और गरिमा का सम्मान करना चाहिए। चिकित्सा देखभाल में उपयोगितावादी दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें अधिकतम लोगों या पूरे समाज के लिए निर्णय लेने की तर्कसंगत क्षमता प्रदान करता है।

13.3 मानव अधिकार और चिकित्सा नैतिकता

मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा, 1948 ने ''मानव अधिकारों'' की अवधारणा को परिभाषित किया है। 'मानव अधिकार सभी मनुष्यों के लिए निहित अधिकार हैं।' होमोसेपियन्स प्रजाति का सदस्य होने का अर्थ है कि सभी मनुष्यों के समान मानवाधिकार हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, ''मानव अधिकारों की परिभाषा में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति, मत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कार्य और शिक्षा का अधिकार शामिल है।'' चिकित्सीय नीतिशास्त्र के मामले में, प्रत्येक चिकित्सक का कर्तव्य है कि वह रोगी के मानवाधिकारों और मानवीय गरिमा की रक्षा करे। चिकित्सीय

नीतिशास्त्र के प्रत्येक संहिता और नियम मानव अधिकारों के संरक्षण पर निर्भर हैं। चिकित्सीय नीतिशास्त्र में मानव अधिकारों और जीवन के संरक्षण के लिए विशेष सुरक्षा का प्रावधान है। मानवाधिकार की अवधारणा इस बात से संबंधित है कि प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए पैदा हुआ है और सभी मनुष्य समान हैं। प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के समान है ताकि उनकी जाति, लिंग, धर्म और जन्म स्थान की परवाह किए बिना सभी के समान नैतिक मूल्य हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि एक इंसान के पास दूसरे की तुलना में अधिक नैतिक मूल्य है। मानव अधिकारों की अवधारणा चिकित्सीय नीतिशास्त्र रोगियों के साथ समान और निष्पक्ष व्यवहार करने के लिए एक सार्वभौमिक आधार प्रदान करती है। इस प्रकार, यह बहुत स्पष्ट है कि चिकित्सीय नीतिशास्त्र मानव अधिकारों की अवधारणा से जुड़ी हुई है।

13.4 चिकित्सीय नीतिशास्त्र में नैतिक मूल्य

चिकित्सीय नीतिशास्त्र में नीतिशास्त्रीय और नैतिक समस्या का विश्लेषण और समाधान आम तौर पर ''चार सिद्धांतों''[*] के आधार पर किया जाता है।' वे चार सिद्धान्त स्वायत्तता, उपकार, हानि और न्याय हैं। इन चार सिद्धांतों के आधार पर चिकित्सा के क्षेत्र में किसी भी कृत्य का मूल्यांकन नैतिक रूप से किया जाता है। ये चार सिद्धांत नैदानिक अनुसंधान और चिकित्सा के बारे में तर्कसंगत और नैतिक रूप से जागरूक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस संदर्भ में, टॉम ब्यूचैम्प और जेम्स एफ चाइल्ड्रेस, का दावा है कि कोई भी एक सिद्धांत दूसरे के बिना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ये सिद्धांत चिकित्सीय नीतिशास्त्र में समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। यहाँ, शब्द 'समान रूप से महत्वपूर्ण' का अर्थ है कि चिकित्सा क्षेत्र में नैतिक टकराव को हल करने के लिए इन सिद्धांतों के बीच कोई पदानुक्रम नहीं है।

13.4.1 स्वायत्तता (Autonomy)

स्वायत्तता शब्द दो शब्दों, अर्थात् ऑटो (जिसका अर्थ है, स्व) और नोमोस (जिसका अर्थ है, शासन) से लिया गया है। इस प्रकार स्वायत्तता का अर्थ स्वशासन है। स्वायत्त होने का

[*] ये प्रसिद्ध जैवनीतिशास्त्री टॉम ब्यूचैम्प और जेम्स चाइल्ड्रेस द्वारा अपनी पाठ्यपुस्तक *प्रिंसिपल ऑफ बायोमेडिकल एथिक्स* में अभिकल्पित किये गए हैं।

मतलब है कि किसी व्यक्ति को निजी जीवन के बारे में निर्णय लेने या चुनने की स्वतंत्रता है। चिकित्सा क्षेत्र में 'स्वायत्तता' एक बहुत ही महत्वपूर्ण मूल्य है क्योंकि यह व्यक्ति या रोगी की स्वतंत्रता है कि वह यह तय करे कि उसे अपने जीवन के साथ क्या करना है या वह कैसे जीना चाहता है। उदाहरण के लिए एक मरीज बाहरी प्रभावों के बिना अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन इसका विपरीत पक्ष संभव हो सकता है, उन रोगियों के बारे में क्या जिनके पास अपने जीवन के लिए स्वयं निर्णय लेने की तर्कसंगत क्षमता नहीं है। इस मामले में, वे स्वायत्त निर्णय नहीं ले सकते हैं, लेकिन उनके साथ उनके सर्वोत्तम हित के लिए व्यवहार किया जाएगा। सरल शब्दों में, यह कहा जाता है कि यदि रोगी अपने जीवन के लिए तर्कसंगत विकल्प या निर्णय लेने में सक्षम है तो रोगी की सहमति आवश्यक है।

13.4.2 उपकार (Beneficence)

चिकित्सीय नीतिशास्त्र का दूसरा सिद्धांत दूसरों के कल्याण या दूसरों की भलाई पर केंद्रित है। चिकित्सीय नीतिशास्त्र में इस सिद्धांत का उद्देश्य दूसरों के सर्वोत्तम हितों की पूर्ति करना है। उदाहरण के लिए एक डॉक्टर को इस तरह से कार्य करना चाहिए कि उसका कृत्य रोगी की भलाई को बढ़ावा दे। इस संदर्भ में ब्यूचैम्प और चाइल्ड्रेस का दावा है कि उपकार दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक उपकार और उपयोगिता। सकारात्मक उपकार का अर्थ है दूसरों के हित में लाभ को बढ़ावा देना। उपयोगिता का अर्थ है दूसरों के हित के अनुसार लाभ और हानि को महत्व देना। यदि लाभ की मात्रा हानि से अधिक है तो यह सिद्धांत लागू होता है। इस प्रकार, यह चिकित्सीय नीतिशास्त्र का मूल मूल्य है।

13.4.3 अपकार–रहितता (Non-maleficence)

सरल शब्दों में इस मूल्य का अर्थ समझा जा सकता है कि किसी कार्य को इस प्रकार किया जाना चाहिए कि यदि वह दूसरों की भलाई को बढ़ावा नहीं दे सकता है तो वह कार्य दूसरों के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर को अपने मरीज को नुकसान न पहुंचाने के इरादे से अपने मरीज का इलाज करना चाहिए। एक डॉक्टर को रोगी के उपचार के मामले में जोखिम और लाभों को समझना चाहिए। लाभ जोखिमों से अधिक होना चाहिए।

13.4.4 न्याय (Justice)

यह सिद्धांत चिकित्सीय, राजनीतिक, सामाजिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में बहुत आवश्यक है। इस सिद्धांत की मुख्य चिंता दुर्लभ स्वास्थ्य संसाधनों का वितरण है। चिकित्सीय नीतिशास्त्र में, इस सिद्धांत का उद्देश्य चिकित्सा और नैदानिक सुविधाओं के संबंध में समाज में निष्पक्षता पैदा करना है।

ये चार नैतिक मूल्य हमें इच्छामृत्यु, रोगी–डॉक्टर संबंध, सरोगेसी जैसे चिकित्सा क्षेत्रों में तर्कसंगत और नैतिक निर्णय लेने में मदद करते हैं। यहां, स्पष्टीकरण के लिए चिकित्सीय नीतिशास्त्र के केवल तीन विषयों (इच्छामृत्यु, रोगी–डॉक्टर संबंध और सरोगेसी) पर विचार किया जाएगा। ये सिद्धांत एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं। एक सिद्धांत दूसरे की अवहेलना कर सकता है। उदाहरण के लिए, मानसिक क्षमता में कमी वाले व्यक्ति में या समय से पहले जन्मे बच्चे के मामले में, उपकार सिद्धांत स्वायत्तता के सिद्धांत की अवहेलना कर सकता है।

बोध प्रश्न I

टिप्पणीः अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

1. चिकित्सीय नीतिशास्त्र क्या है और इसकी भूमिका क्या है?

_____

_____

_____

_____

2. जैवनीतिशास्त्री टॉम ब्यूचैम्प और जेम्स चाइल्ड्रेस द्वारा दिए गए चिकित्सीय नीतिशास्त्र के चार आधारभूत सिद्धांतों की व्याख्या करें।

_____

_____

_____

_____

13.5 चिकित्सीय नीतिशास्त्र में तीन व्यावहारिक मामले

इस खंड में, चिकित्सीय नीतिशास्त्र के तीन मामलों का (ये चिकित्सा क्षेत्र के ज्वलंत मुद्दे हैं) नैतिक मूल्यों और नैतिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग को समझने के लिए विस्तृत वर्णन किया जाएगा जो प्रोफेशनल डॉक्टर नैतिक दुविधाओं या टकरावों को हल करने के लिए संदर्भित करते हैं। ये मूल्यों के कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय हैं जिन पर चिकित्सीय नीतिशास्त्र में ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए जैसे मानव अधिकारों के लिए सम्मान, स्वायत्तता, उपकार, हानि, न्याय, सहमति, और गोपनीयता।

13.5.1 इच्छामृत्यु

यह पद 'इच्छामृत्यु' (euthanasia) ग्रीक शब्द यूथेनेटोस से लिया गया है जिसका अर्थ है अच्छी या आसान मृत्यु। इच्छामृत्यु एक ऐसे व्यक्ति के जीवन को समाप्त करने का कार्य है, जो बिना उपशमन की संभावना के, एक लाइलाज या अत्यंत दर्दनाक बीमारी से पीड़ित है। इच्छामृत्यु दो प्रकार की होती हैः सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय इच्छामृत्यु चिकित्सा सहायता के माध्यम से जानबूझकर या स्वेच्छा से रोगी की जान लेने की क्रिया है। निष्क्रिय इच्छामृत्यु एक ऐसा कार्य नहीं है जो किसी रोगी की चिकित्सा सहायता से उसकी जान ले लेता है, बल्कि यह एक रोगी के सभी चिकित्सा समर्थन को वापस लेने और उसे मरने की अनुमति देने के लिए किया जाता है। सक्रिय इच्छामृत्यु के मामले में, रोगी को उसकी मृत्यु को यथासंभव आसान बनाने के लिए सभी चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है। दूसरी ओर, निष्क्रिय इच्छामृत्यु एक रोगी की सभी चिकित्सा सहायता को वापस लेने के बारे में है और इसका परिणाम मृत्यु होगा। उदाहरण के लिए– 1) सक्रिय इच्छामृत्यु में रोगी को अधिक मात्रा में दर्द निवारक का इंजेक्शन दिया जाएगा और इसका परिणाम रोगी की मृत्यु होगी। 2) निष्क्रिय इच्छामृत्यु एक ऐसे मरीज के ऑक्सीजन सपोर्ट को वापस लेना है जो ऑक्सीजन मशीन की मदद से ही जीवित रहता है। यह उपचार को छोड़ देने या वापस लेने की क्रिया है। लेकिन सवाल यह है कि कौन सी इच्छामृत्यु अधिक अनैतिक है? धार्मिक या पारंपरिक लोग सोचते हैं कि निष्क्रिय इच्छामृत्यु नैतिक रूप से सक्रिय इच्छामृत्यु से बेहतर है। कुछ लोगों का मानना है कि सक्रिय इच्छामृत्यु निष्क्रिय से कहीं बेहतर है क्योंकि इससे मरीज को आसानी से मौत हो जाती है।

इच्छामृत्यु की अन्य तीन श्रेणियां हैं जैसे स्वैच्छिक, गैर–स्वैच्छिक और अनैच्छिक। 1) स्वैच्छिक इच्छामृत्यु में रोगी को अपना जीवन समाप्त करने की सहमति या इच्छा शामिल

होती है। 2) गैर–स्वैच्छिक इच्छामृत्यु एक प्रकार की इच्छामृत्यु है जिसमें एक रोगी अपनी सहमति देने में सक्षम नहीं होता है जैसे कि जब कोई व्यक्ति कोमा में होता है, एक बच्चा या मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति। 3) अनैच्छिक इच्छामृत्यु एक प्रकार की इच्छामृत्यु है जिसमें रोगी जीना चाहता है लेकिन उसकी बदतर स्थिति के कारण उसका जीवन समाप्त हो जाता है। यह मुद्दा जैवनीतिशास्त्र में बहुत अधिक बहस का विषय है। कुछ मामलों में जहां एक मरीज अपनी सहमति नहीं दे सकता है तो हम क्या कहेंगे कि यह एक हत्या है या किसी मरीज को आसान मौत देने के लिए यह एक फायदेमंद कार्य है? इच्छामृत्यु किस बिंदु पर नैतिक हो सकती है या अनैतिक? इच्छामृत्यु प्रथा की नैतिकता और अनैतिकता को विभिन्न प्रथाओं जैसे धर्म, सांस्कृतिक, नैतिक मूल्यों, कानून और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों के माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है।

कुछ देशों, जैसे नीदरलैंड में, यह कानूनी है । अन्य देशों में यह जैसे यूनाइटेड किंगडम में, अवैध और अनैतिक है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन पर हमें चिकित्सीय नीतिशास्त्र के दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। पहला, क्या असहनीय दर्द और लाइलाज बीमारी से पीड़ित मरीज की मर्जी के बिना उसका जीवन खत्म करना नैतिक रूप से सही है? दूसरा, यह किस आधार पर न्यायोचित होगा? क्या किसी को मारने और किसी को मरने देने में कोई अंतर है? क्या किसी की मृत्यु का फैसला करना नैतिक रूप से सही है? लेकिन उन लोगों का क्या जिन्हें लाइलाज और दर्दनाक बीमारी नहीं है लेकिन वे अपना जीवन समाप्त करना चाहते हैं? इन सभी प्रश्नों का विश्लेषण नैतिक सिद्धांतों और चिकित्सीय नीतिशास्त्र के चार नैतिक मूल्यों जैसे स्वायत्तता, उपकार, अपकार–रहितता के चश्मे से किया जाना चाहिए।

13.5.2 डॉक्टर–रोगी संबंध

चिकित्सक–रोगी संबंध चिकित्सीय नीतिशास्त्र और स्वास्थ्य देखभाल के मुद्दों की केंद्रीय धारणा है। चिकित्सा और नैदानिक अनुसंधान हमेशा चिकित्सक और रोगी के संबंध पर निर्भर करते हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं हमेशा रोगियों के लिए होती हैं और दवा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं हमेशा डॉक्टर और रोगी संबंधों के बीच एक माध्यम के रूप में काम करती हैं। एक मरीज को हमेशा डॉक्टर पर भरोसा रखना चाहिए। सभी डॉक्टरों को अपने मरीजों के संबंध में गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए। यहां,

गोपनीयता का मतलब है कि डॉक्टर को किसी मरीज की निजी जानकारी की रक्षा करनी चाहिए। गोपनीयता हमेशा एक मरीज और एक डॉक्टर के बीच वफादारी और विश्वास पर आधारित होती है। रोगी की कोई भी निजी जानकारी केवल रोगी के लाभ के लिए प्रकट की जा सकती है यदि यह कानूनी उद्देश्य के लिए आवश्यक हो। चिकित्सीय नीतिशास्त्र चिकित्सक–रोगी संबंधों के संबंध से उत्पन्न होने वाले नैतिक विवादों को हल करने का प्रयास करती है। इस संबंध में, डॉक्टर का कर्तव्य रोगी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना या उसमें सुधार करना है। यदि स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं और डॉक्टर के निर्णय रोगी के कल्याण (अर्थात् लाभ सिद्धांत) को बढ़ावा देने में सक्षम नहीं हैं, तो ये सभी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं और अनुसंधान डॉक्टर और रोगी के बीच के बंधन को कमजोर कर देंगे। अपने रोगी के प्रति एक चिकित्सक के निर्णय को अशुभ परिणामों से बचना चाहिए। इस मामले में, एक डॉक्टर को इस तरह से कार्य करना चाहिए कि रोगी को नुकसान ना पहुंचे या रोगी की स्थिति उपचार प्राप्त करने से पहले की तुलना में खराब न हो (अर्थात अपचार रहितता का सिद्धांत)। डॉक्टर–रोगी संबंध में, अंतिम नैतिक मूल्यों अर्थात् न्याय को लागू करना सभी रोगियों के बीच दुर्लभ स्वास्थ्य सेवाओं के उचित वितरण को बढ़ावा देना है। नैतिक चिकित्सा पद्धतियों में सूचित सहमति केंद्रीय कारक है। रोगी को उपचार के दौरान या बाद में जोखिम होने की कोई संभावना होने पर सूचित किया जाना चाहिए। उपचार के परिणामों के बारे में रोगी और चिकित्सक के बीच एक समझौता होना चाहिए, जो परिणाम रोगी के लिए और अधिक समस्याएं पैदा कर सकता है। इस मामले में, यह रोगी की पसंद है कि वह उस उपचार के साथ जाए या नहीं। क्योंकि हर मरीज के पास अपने स्वास्थ्य और जीवन के बारे में अलग–अलग विकल्प और निर्णय होते हैं। यहां, ''सूचित सहमति'' का सिद्धांत रोगी की स्वायत्तता और मानवाधिकारों के सम्मान को दर्शाता है।

13.5.3 सरोगेसी

सरोगेट मातृत्व सहायित प्रजनन का एक रूप है जिसमें आम तौर पर तीन व्यक्ति शामिल होते हैं; एक विवाहित बांझ दंपति (माता–पिता) और एक सरोगेट मां। यह एक तथ्य है कि गैर–वाणिज्यिक सरोगेसी (जैसे परोपकारी सरोगेसी) की तुलना में वाणिज्यिक सरोगेसी (जिसमें रूपयों का आदान–प्रदान शामिल है) के खिलाफ अधिक बहस है। कुछ जोड़े इस

तकनीक की मदद ले सकते हैं क्योंकि उनके लिए गर्भावस्था खतरनाक या चिकित्सकीय दृष्टिकोण से असंभव है। कुछ देशों में यह कानूनी है और कुछ देशों में यह अवैध है। सरोगेसी को लेकर कुछ नैतिक सवाल उठाए जाते हैं जैसे कि बच्चे का वाणिज्यिक वस्तुकरण (कमोडिफिकेशन), मां और बच्चे के बीच भावनात्मक लगाव को प्रभावित करना, प्राकृतिक प्रक्रिया का उल्लंघन करना।

कई युक्तियों की जड़ें इस प्रथा से होने वाले नुकसान पर निर्भर करती हैं। सरोगेसी के तरीके महिलाओं के साथ–साथ बच्चे को भी कई तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। ये विधियां कमजोर महिलाओं का शोषण करती हैं जिन्हें धन की आवश्यकता होती है या जो गरीब परिवार से संबंधित होती हैं। इस मामले में, एक गरीब महिला 'भ्रूण कंटेनर', 'किराए के लिए गर्भ' या 'प्रजनन मशीनों' की तरह वस्तु में ढाल दी जाती है। महिलाओं के बीच पदानुक्रमित विभाजन करने की संभावना रहती है जैसे कि आनुवंशिक रूप से बेहतर महिलाएं इन विट्रो में भ्रूण पैदा करेंगी, मजबूत शरीर वाली महिलाओं द्वारा 'टेस्ट–ट्यूब बेबी' से भ्रूण पैदा किया जायेगा, और मधुर स्वभाव वाली महिलाएं इन नवजात शिशुओं को बचपन से वयस्कता तक पालेंगी। महिलाओं के बीच ये विभाजन महिलाओं के अंतर्निहित मूल्य को प्रभावित करते हैं, एक 'इच्छित' माँ होने या एक 'वाहक' माँ होने या एक 'पाली हुई' माँ होने के नाते और निश्चित रूप से बच्चे–माँ के रिश्ते को प्रभावित करेगी। यहां, उदाहरण के लिए, शिशु को जन्म देने में सक्षम महिला गर्भावस्था के जोखिम और असुविधाओं से बचने के लिए दूसरी महिला का उपयोग करती है। यहाँ, एक और प्रश्न उठता है; क्या एक बच्चे को 'साध्य; के रूप में प्राप्त करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को 'साधन' के रूप में उपयोग करना नैतिक रूप से गलत है? चिकित्सीय नीतिशास्त्र में कर्तव्यपरक दृष्टिकोण के अनुसार, तर्कसंगत मनुष्यों को अपने आप में; 'साध्य' के रूप में माना जाना चाहिए, न कि किसी और साध्य के लिए 'साधन' के रूप में। सभी मनुष्यों में समान अन्तर्निहित मूल्य और समान मानव अधिकार हैं। वाणिज्यिक सरोगेसी के मामले में, सरोगेट माताओं का शोषण किया जाता है। भारत में, वाणिज्यिक सरोगेसी पूरी तरह से इस आधार पर प्रतिबंधित है कि एक गरीब महिला को मजबूर किया जाता है, और धन कमाने के लिए वस्तुकरण का शिकार हो जाती है। इस प्रकार, यह प्रतीत होता है कि वाणिज्यिक सरोगेसी मानव अधिकारों और सरोगेट मां की स्वायत्तता के उल्लंघन के साथ–साथ प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है।

13.6 नैतिक मूल्यों के मध्य संघर्ष

एक समस्या यह है कि कभी–कभी एक नैतिक सिद्धांत या नैतिक मूल्य किसी मुद्दे को हल नहीं कर सकता है। समस्या का समाधान जैवचिकित्सीय नीतिशास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों के मध्य सामंजस्य पर निर्भर करती है। ये सिद्धांत जैवचिकित्सीय नीतिशास्त्र के विवादों को सुलझाने संबंधी निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि, कभी–कभी एक नैतिक मूल्य दूसरे नैतिक मूल्य के साथ टकरा सकता है। उदाहरण के लिए, इच्छामृत्यु के मामले में, एक मरीज की इच्छा जीवन को समाप्त करने की होती है। यहां, एक मरीज इलाज या चिकित्सा सहायता के माध्यम से ठीक नहीं होना चाहता है। दूसरी ओर, एक डॉक्टर रोगी के कल्याण के इरादे से रोगी को उपचार देना चाहता है। इस प्रकार, स्वायत्तता और उपकार के बीच एक संघर्ष/टकराव है। इस मामले में, कुछ समाज स्वायत्तता की तुलना में उपकार करना पसंद करते हैं। लेकिन, अगर हम 'संथारा' (जैन धर्म की प्रथा) का उदाहरण लेते हैं, तो धार्मिक लोग उपकार पर स्वायत्तता को प्राथमिकता दे सकते हैं। इस प्रकार, नैतिक सिद्धांतों के बीच संघर्ष को हल करना लोगों की संस्कृतियों, धर्मों और विश्वासों पर भी निर्भर करता है। दो नैतिक सिद्धांतों के बीच संघर्ष को समझने के लिए एक और महत्वपूर्ण उदाहरण वाणिज्यिक सरोगेसी है। भारत में वाणिज्यिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि यह प्रथा सरोगेट मां के सर्वोत्तम हितों (लाभ) के खिलाफ है। हालांकि सरोगेट मां बनने का फैसला महिला खुद लेती है। लेकिन, इस मामले में, उपकार का सिद्धांत स्वायत्तता के सिद्धांत पर हावी हो जाता है। तीसरे उदाहरण में अर्थात् डॉक्टर–रोगी संबंध, एक डॉक्टर ज्यादातर मरीज के उपकार पर एक मरीज की स्वायत्तता को प्राथमिकता देता है।

इस प्रकार, स्थिति को हल करने के लिए चिकित्सीय नीतिशास्त्र में नियमों के एक निश्चित समुच्चय का पालन करना बहुत मुश्किल है। चिकित्सीय नीतिशास्त्र में नैतिक समस्याओं को हल करने के लिए विभिन्न कारकों पर विचार किया जाना चाहिए जैसे स्वायत्तता, लाभ, हानि, न्याय, सूचित सहमति और गोपनीयता के लिए सम्मान।

13.7 सारांश

हम जानते हैं कि नैतिकता हर मामले में नियमों के एक निश्चित समुच्चय को लागू करने के बारे में नहीं है। चिकित्सीय नीतिशास्त्र की नैतिक दुविधाओं को हल करने के लिए कोई

निश्चित और एकल दृष्टिकोण नहीं है। लेकिन नीतिशास्त्र नैतिक दुविधाओं को हल करने के लिए व्यवस्थित का हमेशा पालन करती है। जैसा कि चिकित्सीय नीतिशास्त्र में, चिकित्सक को रोगी की स्वायत्तता और गरिमा का सम्मान करना चाहिए। उपचार न्यायसंगत और निष्पक्ष होना चाहिए। रोगी को उसके उपचार के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए। नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों की स्पष्ट समझ उपयोगितावाद, कर्तव्यपरक सिद्धांत, स्वायत्तता, सूचित सहमति, उपकार, दुर्भावना और न्याय जैसी नैतिक दुविधाओं को हल करने के लिए आवश्यक है। चिकित्सीय नीतिशास्त्र में नैतिक समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है, यह तय करने में धार्मिक और सांस्कृतिक विचार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी व्यक्ति से संबंधित नैतिक मुद्दों को हल करने के लिए किसी संस्कृति की उचित समझ की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, चिकित्सीय नीतिशास्त्र में कोई सही और एकल उत्तर नहीं है। यहां, चिकित्सा नैतिकता में दृष्टिकोण बहुआयामी और परिस्थिति–आधारित है।

बोध प्रश्न II

टिप्पणीः अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

1. चिकित्सीय नीतिशास्त्र में उपयोगितावाद की समझ की व्याख्या करें।

_____

_____

_____

_____

2. चिकित्सीय नीतिशास्त्र में कर्तव्यपरक सिद्धांत की समझ की व्याख्या करें।

_____

_____

_____

_____

3. 'चिकित्सीय नीतिशास्त्र निश्चित नियमों को लागू करने पर आधारित नहीं है बल्कि यह स्थिति आधारित है'। इसका व्यावहारिक उदाहरणों के साथ विस्तृत विवेचन करें।

_____

_____

_____

_____

13.8 कुंजी शब्द

- **संथारा :** इस शब्द को जैन धर्म में समाधि–मरण के नाम से भी जाना जाता है। यह एक धार्मिक प्रथा है जिसमें एक जैन भोजन और तरल पदार्थ का सेवन कम करके और चिकित्सा उपचार न करके स्वेच्छा से जीवन समाप्त करने का निर्णय लेता है।

13.9 अन्य सहायक अध्ययन–सामग्री और सन्दर्भ

- अहमद, फुरकान. आर मेडिकल इथिक्स यूनिवर्सल आर कल्चर स्पेसिफिक *वर्ल्ड जर्नल ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फार्माकोलॉजी एंड थेरेप्यूटिक्स*, 4 (3): 47–48.
- एंडरसन, एलिजाबेथ एस. आर वुमेन लेबर ए कमोडीटी?. *फिलॉसफी एंड पब्लिक अफेयर्स*, 19(1): 71–92.
- ब्यूचैम्प, टॉम एल. एंड जेम्स एफ. चाइल्ड्रेस. *प्रिंसिपल आफ बायोमेडिकल एथिक्स*. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, यूएसए, 2001.
- बॉयलन, माइकल. *मेडिकल इथिक्स*, सेकेंड एडिशन. माल्डेन, मासः जॉन विले एंड संस, 2014.
- ड्रायवर, जूलिया. *इथिक्सः द फंडामेंटल्स*. जॉन विले एंड संस, 2013.
- केओन, जॉन, एड. *यूथनेसिया इक्जामिन्डः इथिकल एण्ड लीगल पर्सपेक्टिव*. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 1997.
- पर्विकल, थॉमस. *मेडिकल इथिक्स*. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 2014.
- रोज़मेरी टोंग. द ओवर ड्यू डेथ आफ ए फेमिनिस्ट कैमेलन. टाकिंग ए स्टेंड आन सरोगेसी आरेजमेंट. *जर्नल ऑफ फिलॉसफी* 21, 1990.
- यूनेस्को, यूनिवर्सल डेक्लेरेशन आन बायो इथिक्स एण्ड ह्यूमन राइट एचीव्ड 2017–10–10 ऐट द वेबैक मशीन, एडाप्टेड बाई द यूनेस्को जनरल कांफेरेन्स ऐट पेरिस, 19 अक्टूबर 2005.

13.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न I

1. चिकित्सीय नीतिशास्त्र अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र की एक शाखा है जो नैदानिक चिकित्सा और वैज्ञानिक अनुसंधान के व्यावहारिक मुद्दों से संबंधित है। इसका मुख्य उद्देश्य नैतिक दृ ष्टिकोण से व्यावहारिक मुद्दों की जांच और विश्लेषण करना है। चूंकि नैतिकता हमारे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हर इंसान अपना जीवन अपनी पसंद और फैसलों के साथ जीता है। व्यक्ति हमेशा अपनी पसंद और निर्णय के अनुसार कार्य करता है। किसी के कृत्यों और विकल्पों के बीच एक अंतर्संबंध होता है। नैतिकता तब शुरू होती है जब मनुष्य कार्य करने के लिए विकल्प और निर्णय लेता है। इस प्रकार, नैतिकता विकल्पों से संबंधित है। जहां कोई विकल्प नहीं है वहां नैतिकता की कोई भूमिका नहीं है। नैदानिक चिकित्सा और वैज्ञानिक अनुसंधान में व्यावहारिक मुद्दों के उदाहरण हैं इच्छामृत्यु, डॉक्टर–रोगी संबंध, सरोगेसी आदि।

2. जैवनीतिशास्त्र में चार बुनियादी सिद्धांत हैं जो आम तौर पर चिकित्सा प्रक्रिया के गुण और दोषों का मूल्यांकन और जांच करने के लिए जैवनीतिशास्त्रियों द्वारा लागू किए जाते हैं। आदर्श रूप से, चिकित्सा पद्धतियों में, एक कार्रवाई नैतिक होगी यदि वह सभी चार बुनियादी सिद्धांतों का पालन करती है स्वायत्तता, न्याय, उपकार और अपकार–रहितता। सबसे पहले, नैदानिक दवाओं में ''स्वायत्तता'' का अर्थ है कि रोगी को स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। एक रोगी एक चिकित्सा प्रक्रिया के जोखिमों और लाभों के बारे में उचित ज्ञान होने के बाद पूरी तरह से सूचित निर्णय लेता है। कोई भी मरीज को जबरदस्ती और हेरफेर नहीं कर सकता है। दूसरे, '' उपकार'' सिद्धांत किसी भी चिकित्सा अनुसंधान या प्रक्रिया को समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए। इसका मतलब है कि एक चिकित्सा प्रक्रिया नैतिक होगी यदि वह व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए फायदेमंद हो। तीसरा, ''अपकार–रहितता'' सिद्धांत एक प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो तटस्थ होनी चाहिए यदि यह बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। अगर यह पूरे समाज या रोगी के लिए फायदेमंद है तो इसे नुकसान को कम करना चाहिए। चौथा, ''न्याय'' सिद्धांत का अर्थ है कि चिकित्सा प्रयोग या उपचार समाज के सभी समूहों के बीच समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए।

यदि कोई चिकित्सा प्रक्रिया या प्रयोग चार सिद्धांतों का पालन करता है तो वह नैतिक होगा।

बोध प्रश्न II

1. चिकित्सीय नीतिशास्त्र में दो महत्वपूर्ण नैतिक सिद्धांत हैं। एक है उपयोगितावाद और दूसरा है कर्तव्यपरक नीतिशास्त्र। उपयोगितावाद एक पारंपरिक नैतिक सिद्धांत है जिसकी वकालत 18वीं और 19वीं शताब्दी के दो महत्वपूर्ण दार्शनिकों जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल ने की है। यह दृष्टिकोण कृत्य या निर्णयों के परिणामों पर आधारित है। इस मामले में, किसी कृत्य के अच्छे परिणाम किसी कृत्य के साधनों को सही ठहरा सकते हैं। उपयोगितावाद दृष्टिकोण की नैतिकता साधनों के साथ नहीं बल्कि इस दृष्टिकोण के लिए परिणाम मायने रखता है। इस प्रकार, इस दृष्टिकोण से, एक चिकित्सा उपचार या प्रयोग नैतिक होगा यदि उस प्रयोग का परिणाम खुशी या आनंद को बढ़ावा देता है।

2. कर्तव्यपरक सिद्धांत को 18 वीं शताब्दी में महान जर्मन दार्शनिक इम्मानुएल कांट द्वारा परिभाषित किया गया है। इस सिद्धांत को सरल शब्दों में समझना यह है कि अभिकर्ता के कर्तव्यों या दायित्व और व्यक्ति की शुभ संकल्प के बीच एक नैतिक संबंध है और यह कुछ कर्तव्यों या दायित्वों पर आधारित है। यह उपागम दावा करता है कि साध्य साधनों का औचित्य सिद्ध नहीं कर सकता। जबकि, एक अच्छा निर्णय (कर्तव्य या दायित्व) किसी कृत्य के परिणाम को सही ठहराने का एकमात्र तरीका है। इस दृष्टिकोण में, नैतिक निर्णय परिणामों से स्वतंत्र होते हैं। चिकित्सीय नीतिशास्त्र में, एक कृत्य या एक अभ्यास कर्तव्यपरक दृष्टिकोण से नैतिक होगा यदि वह कांट के तीन सिद्धांतों का पालन करता है;

1) सार्वभौमिक सिद्धांत

2) मानवता सिद्धांत

3) स्वायत्तता सिद्धांत

3. नैतिकता हर मामले में नियमों के एक निश्चित समुच्चय को लागू करने के बारे में नहीं है। चिकित्सीय नीतिशास्त्र की नैतिक दुविधाओं को हल करने के लिए कोई निश्चित और एकल दृष्टिकोण नहीं है। लेकिन नैतिकता हमेशा नैतिक दुविधाओं को हल करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण का पालन करती है। जैसा कि चिकित्सीय नीतिशास्त्र में, चिकित्सक को रोगी की स्वायत्तता और गरिमा का सम्मान करना चाहिए। उपचार न्यायसंगत और निष्पक्ष होना चाहिए। रोगी को उसके उपचार के बारे में स्पष्ट रूप से

सूचित किया जाना चाहिए। नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों की स्पष्ट समझ उपयोगितावाद, कर्तव्यपरक सिद्धांत, स्वायत्तता, सूचित सहमति, उपकार, अपकार और न्याय जैसी नैतिक दुविधाओं को हल करने के लिए आवश्यक है। चिकित्सीय नीतिशास्त्र में नैतिक समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है, यह तय करने में धार्मिक और सांस्कृतिक विचार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी व्यक्ति से संबंधित नैतिक मुद्दों को हल करने के लिए किसी संस्कृति की उचित समझ की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, चिकित्सीय नीतिशास्त्र में कोई सही और एकल उत्तर नहीं है। यहां, चिकित्सीय नीतिशास्त्र में दृ ष्टिकोण बहुआयामी और परिस्थिति आधारित है।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY